निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 139/2024
दायरा दिनांकः— 27.09.2024
निर्णय दिनांकः— 25.2.25

उनवान

1. अशोक कुमार आयु 73 वर्ष पुत्र शिवमनोहर
2. कृष्ण कुमार आयु 78 वर्ष पुत्र शिवनारायण
3. शरद कुमार आयु 70 वर्ष पुत्र शिवमनोहर जातियान ब्राहम्ण निवासीगण छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारा (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91ए आर0टी0एक्ट0 एवं

निर्णय दिनांकः— 25.2.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री हेमन्त पारीक — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91ए आर.टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम आंचोली तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नंबर 313 रकबा 1.4290 है०, खसरा नंबर 315 रकबा 1.0370 है० कुल किता दो रकबा 2.4460 है० वादीगण एवं शिवदयाल पुत्र मोतीलाल जाति ब्राहम्ण के नाम संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। खातेदार शिवदयाल पुत्र मोतीलाल का स्वर्गवास हो गया है। खातेदार शिवदयाल अविवाहित थे, उनके कोई पत्नी एवं औलाद नहीं थी। वादीगण ही उनके मात्र वारिस व कायम मुकामान है। वादीगण कम 1 व 3 के पिता शिवमनोहर व शिवदयाल दोनों सगे भाई थे तथा वादी कम 3 की माता मांगीबाई व शिवदयाल दोनों सगे भाई बहिन थे। वाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित भूमियात वादीगण की पैत्रिक जायदाद है, जो वादीगण को पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वाद में वर्णित भूमियात जमाबंदी संवत् 2012 से 2015 में वादी कम 1 व ३ के दादाजी एवं वादी कम 2 के नानाजी मोतीलाल पुत्र रामलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। इसके पश्चात राजस्व रिकार्ड जमाबदी संवत् 2013 से 2022 में भी मोतीलाल आत्मज रामलाल ब्राहम्ण निवासी छबड़ा के नाम दर्ज थी। इसके बाद जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 में खातेदार मोतीलाल पुत्र रामलाल ब्राहम्ण के साथ रिज्यूम 01.07 1958 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। इसके बाद जमाबंदी संवत् 2021 से 2034 में खातेदार के नाम के साथ रिज्यूम शब्द दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2035 से 2059 तक राजस्व रिकार्ड में खातेदार को मोतीलाल पुत्र रामलाल के साथ रिज्यूम शब्द दर्ज नहीं

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

है। इसके पश्चात जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 से खातेदार के नाम के साथ रिज्यूमेश शब्द दर्ज कर दिया गया तथा खातेदार मोतीलाल के फोत हो जाने पर इंतकाल नंबर 753 से भूमि राजस्व रिकार्ड में शिवदयाल पुत्र अशोक कुमार, शरण कुमार पुत्र शिवमनोहर, मांगीबाई कमलाबाई पुत्रियां मोतीलाल के नाम दर्ज हो गई। तब से आज तक राजस्व रिकार्ड में खातेदारान के साथ राजस्व रिकार्ड में रिज्यूमशन शब्द दर्ज चला आ रहा है। वाद में वर्णित भूमियात सेटलमेन्ट के समय वादीगण के पूर्वज मोतीलाल पुत्र रामलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। लेकिन उस समय राजस्व रिकार्ड में खातेदार के साथ रिज्यूमेशन शब्द दर्ज नहीं था। लेकिन बाद में उक्त भूमि में रिज्यूमशन शब्द दर्ज फरमा दिया गया है। जबकि उक्त भूमि का माफी पटेलाई या अन्य माफी जागीरदारी से कोई संबंध एवं सरोकार नहीं रहा है। लेकिन फिर भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में रिज्यूमशन दर्ज फरमा दिया गया है। अतः वादीगण उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदारान के नाम से दर्ज रिज्यूमशन शब्द को हटवाए जाने के अधिकारी है। वाद में वर्णित भूमियात के राजस्व रिकार्ड में खातेदारान के साथ रिज्यूमशन शब्द दर्ज होने से वादीगण उक्त भूमि पर सरकार से मिलने वाले किसी भी परिलाभ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तथा भूमि को उन्नत भी नहीं बना पा रहे हैं तथा बैंक द्वारा ऋण भी नहीं दिया जा रहा है। इस कारण वादीगण को काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 313 नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2012–15 नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2019–22 खाता संख्या 140 नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2027–30 खाता संख्या 151 नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2031–34 खाता संख्या 153 नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2035–38 खाता संख्या 158 नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2039–42 खाता संख्या 211 नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2044–47 खाता संख्या 213 नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2048–51 नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2052–55 खाता संख्या 225 नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2056–59 खाता संख्या 255 नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2060–63 खाता संख्या 239 नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2064–67 खाता संख्या 256 नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 295 नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 313 पेष की गई। साक्ष्य वादी में अशोक कुमार के बयान कराये गयें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम आंचोली तहसील छबडा में स्थित है। जो वादीगण एवं शिवदयाल पुत्र मोतीलाल ब्राहम्ण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सम्वत् 2013 से 2022 में मोतीलाल आत्मज रामलाल निवासी छबडा के नाम दर्ज थी। सम्वत् 2027–30 में खातेदार मोतीलाल पुत्र रामलाल ब्राहम्ण के साथ रिज्युम 01.07.1958 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया सम्वत् 2021 से 2034 में खातेदार के नाम के साथ रिज्यूम शब्द दर्ज है जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2059 तक राजस्व रिकार्ड में खातेदार के साथ रिज्यूम शब्द दर्ज नही था इसके पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2060–63 में खातेदार के नाम के साथ रिज्यूमशन दर्ज कर दिया गया। खातेदार मोतीलाल के फोत हो जाने के बाद नामान्तरण नम्बर 753 से शिवदयाल पुत्र अशोक कुमार, शरद कुमार पुत्र शिवमनोहर,

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

मांगीबाई, कमलाबाई पुत्री मोतीलाल के नाम हुई। तब से आज तक रिज्यूमषन शब्द चला आर रहा है सेटलमेन्ट के समय खातेदार के नाम के साथ रिज्यूमशन दर्ज नही था। बाद में उक्त भूमि में रिज्यूमशन शब्द दर्ज कर दिया गया। उक्त भूमि का माफी पटेलाई या अन्य माफी जागीरदारी से कोई सम्बन्ध नही था। फिर भी राजस्व रिकार्ड में खातेदार के नाम के साथ रिज्यूमषन दर्ज कर दिया। राजस्व रिकार्ड में खातेदारान के साथ रिज्यूमशन शब्द दर्ज होने से वादीगण उक्त भूमि पर सरकार से मिलने वाले किसी भी परिलाभ को प्राप्त नही कर पा रह है। भूमि उन्न्त भी नही कर पा रहे है वादीगण को अर्थिक परेशानियों का सामना करना पड रहा है वादी अभिभाषक ने जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर0टी0एक्ट की धारा 15 का उद्रण करतें हुए निवेदन किया की प्रार्थी विधिक खातेदार कृषक हे वादी क खाते से रिज्यूमश्रन हटाया जाना अति आवश्यक है वादी का वाद स्वीकार किया जावें।

तहसीलदार छबडा से इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि माल आंचोली की भूमि खसरा नम्बर 313 रकबा 1.4290 है0 खसरा नम्बर 315 रकबा 1.0370 है0 कुल किता 2 रकबा 2.4460 है0 भूमि अशोक कुमार पुत्र शिवमनोहर हिस्सा 1/8 कृष्ण कुमार पुत्र शिवनारायण हिस्सा 1/4 शरद कूमार पुत्र शिवमनोहर हिस्सा 1/8 शिवदयाल पुत्र मोतीलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राहम्ण सा0 छबडा माफियात रिज्यूमशन के नाम दर्ज रिकार्ड है अन्य किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन नही है तथा किसी भी न्यायालय का स्थगन नही है उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है उक्त भूमि में माफी रिज्यूमशन होने से वादीगण को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है खाते से माफी रिज्यूमशन हटायें जाने की अनुशषा की है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 313 में वादीगण का नाम दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2012–15 सम्वत् 2019–22 में खातेदार के साथ रिज्यूमशन दर्ज नही था। सम्वत् 2027–30 सम्वत् 2031–34 मं खातेदार के साथ रिज्यूमशन दर्ज कर दिया सम्वत् 2035–38 सम्वत् 2039–42 सम्वत् 2044–47 सम्वत् 2048–51 सम्वत् 2052–55 सम्वत् 2057–59 तक खातेदार के नाम के साथ रिज्यूमशन शब्द नही था। जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2060–63 सम्वत् 2064–67 सम्वत् 2068–71 सम्वत् 2072–75 एवं सम्वत् 2076–79 में खातेदारों के नाम के साथ माफीयात रिज्यूमशन दर्ज है इससे यह साबित होता है कि सेटलमेन्ट के समय रिज्यूमशन नही था बाद में रिज्यूमशन शब्द खातेदार के नाम के साथ जोड दिया गया। फिर रिज्यूमशन हटा दिया ओर बाद में फिर खातेदार के नाम के साथ रिज्यूमशन शब्द दर्ज कर दिया गया। सम्वत् 2012 से 2079 तक खातेदारों के बीच स्थानान्तरण हुआ है। उक्त भूमि का माफीयात रिज्यूमशन में दर्ज खातेदारों के द्वारा विधिक बेचान/स्थानान्तरण हुआ एवं इसी आधार पर नामान्तरण दर्ज हुए है परन्तु वर्तमान में नामान्तरण की प्रक्रिया ऑनलाईन होने के कारण नामान्तरण खोलने की समस्या आ रही है एवं रिकार्ड दुरूस्त नही हो पा रहे है।

इस वाद को निर्णित करने हेतु यहां जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आ0टी0एक्ट की धारा 15 विचारणीय है :–

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जागीरदारी एक्ट की धारा–9 :– "जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार,पट्टेदार,खादिमदार के रूप में या की अन्य रूप में जिसमें यहां अन्तहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवंशिक और पूर्ण अन्त के अधिकार प्राप्त है,दर्ज है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा "

आ0टी0एक्ट की धारा–15 :– प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 101 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का आवंटिती के अतिरिक्त आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 (राज. एक्ट 6, सन् 1952) के अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि खातेदारी अधिकार अर्जित करता है खातेदार आसामी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

उपरोक्त के क्रम में ,इस प्रकरण में वादीगण जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर. टी. एक्ट की धारा 15 के तहत खातेदार कृषक होना साबित होता है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण का लगातार कब्जा काश्त रहा है। तथा माफी रिज्यूम होने से वादी को किसी प्रकार का ऋण आदि का लाभ नही मिल पा रहा है जिससें वादी को समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः जमाबन्दी से माफी रिज्युमशन हटाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम आंचोली तहसील छबडा के खसरा नं. 313 रकबा 1.4290 हैक्टेयर, खसरा नं. 315 रकबा 1.0370 हैक्टेयर, भूमि में वादीगण के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिए जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 139 / 2024	अन्तर्गत धारा 88, 89, 91ए आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 25.2.25
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री हेमन्त पारीक	अभिभाषकप्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. अशोक कुमार आयु 73 वर्ष पुत्र शिवमनोहर
2. कृष्ण कुमार आयु 78 वर्ष पुत्र शिवनारायण
3. शरद कुमार आयु 70 वर्ष पुत्र शिवमनोहर जातियान ब्राहम्ण निवासीगण छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

–वादीगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम आंचोली तहसील छबडा के खसरा नं. 313 रकबा 1.4290 हैक्टेयर, खसरा नं. 315 रकबा 1.0370 हैक्टेयर, भूमि में वादीगण के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिए जाते है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 25.2.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला–बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		